संख्या–555 / अडतीस–6–2020–165एलसी / 2020टीसी–III

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

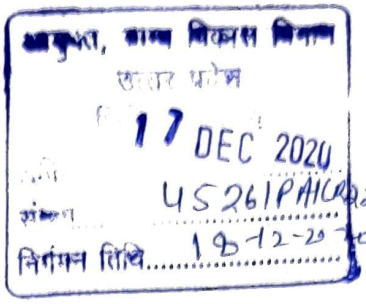

ग्राम्य विकास अनुभाग–6

लखनऊः दिनांकः 16 दिसम्बर, 2020

विषयः– बी0सी0–सखी के शार्टलिस्टिंग, प्रशिक्षण एवं सर्टीफिकेशन के संबंध में।

महोदय,

शासनादेश सं0–165 / 38–6–2020–आर–165 / 2020 दिनांक 22.05.2020 द्वारा प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक–एक बी0सी0–सखी को चयनित एवं प्रशिक्षित कर तैनात करने का निर्णय लिया गया है। इस विषय पर विस्तृत गाईडलाईन शासनादेश संख्या–15 / 2020 / 184 / 38–6–2020–आर–165 / 2020, दिनांक 09.06.2020 द्वारा जारी किया गया है।

(1) आवेदनः

उपरोक्त निर्देशों के कम में बी.सी.–सखी के ऑनलाइन आवेदन हेतु ऐप तैयार किया गया। आवेदन दिनांक 11.06.2020 से 17.08.2020 तक प्राप्त किया गया। इस अवधि में कुल 2,16,000 आवेदन 58532 ग्राम पंचायतों से प्राप्त हुए।

आवेदन पत्र के चार भाग थे। इन चार भागों के प्रश्न आवेदक के निम्न गुणों को दर्शाने वाले थे :–

(i) नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता।
(ii) उद्यमिता।
(iii) पढ़ने लिखने एवं गुणा–भाग करने की क्षमता।
(iv) टेक्नोलॉजी प्रयोग की दक्षता एवं अभिरूचि।

इन चार मानकों पर कुल 64 प्रश्न रखे गये थे। इन उत्तरों का कम्प्यूटर द्वारा ही evaluation किया गया है।

(2) शार्टलिस्टिंग में वरीयता–

(i) स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षा
(ii) ग्राम स्तरीय समूह सखी
(iii) स्वयं सहायता समूह की सदस्य / पदाधिकारी
(iv) कोई अन्य आवेदक जो स्वयं सहायता समूह का सदस्य नहीं है और जिसने अधिकतम नम्बर प्राप्त किए हों।

(3) शार्टलिस्टिंगः

प्रथम चरण में कुल 56875 बी.सी.–सखी को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें 17070 अनुसूचित जाति (30 प्रतिशत), 26839 ओ0बी0सी0 (47.2 प्रतिशत) एवं 12966 सामान्य श्रेणी (22.8 प्रतिशत) के हैं। उपरोक्त शार्ट लिस्टेड बी0सी0–सखी का विवरण www.upsrlm.org पर देखा जा सकता है। जिलाधिकारीगण का सी.यू.जी. नम्बर ही उनका यूजर आई.डी. व पासवर्ड है। जिलाधिकारीगण पासवर्ड अपनी सुविधानुसार बदल सकते हैं।

(4) बी.सी.–सखी का प्रशिक्षण–

बी.सी.–सखी का प्रशिक्षण व सर्टीफिकेशन की कार्यवाही आरसेटी द्वारा कराई जायेगी। आरसेटी के राज्य निदेशक, श्री गणेश दीक्षित (मोबाईल सं0–9450496901) प्रशिक्षण व सर्टीफिकेशन के लिए नोडल अधिकारी होंगे। जिलाधिकारी गण श्री गणेश दीक्षित, राज्य निदेशक, आरसेटी से सम्पर्क कर शार्ट लिस्टेड बी0सी0–सखी का प्रशिक्षण शीघ्र कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। शार्ट लिस्टेड बी0सी0–सखी को उनके मोबाईल ऐप पर भी सूचना भेजी जा रही है।

(5) परीक्षा/सर्टिफिकेशन

बी.सी.–सखी के लिए आर.बी.आई. के निर्देशों के अन्तर्गत इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाईनेन्स (IIBF) द्वारा करायी जाने वाली परीक्षा को पास करने के उपरान्त सर्टिफिकेट मिलता है। उक्त सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले लोग ही बी.सी.–सखी के रूप में कार्य कर सकते हैं। यह परीक्षा देने के लिए 800 रूपये प्रति अभ्यर्थी आई.आई.बी.एफ. द्वारा चार्ज किया जाता है, परन्तु स्वयं सहायता समूह के सदस्य के लिए यह धनराशि रू0–350 है। इसकी व्यवस्था UPSRLM द्वारा आरसेटी के माध्यम से की जाएगी। एक बी0सी0–सखी पर प्रशिक्षण व परीक्षा के लिए शासन द्वारा एक बार धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। पुनः प्रशिक्षण व परीक्षा के लिए लाभार्थी को स्वयं इसका वहन करना पड़ेगा। परीक्षा पास न करने की दशा में उस ग्राम पंचायत के लिए वेट लिस्ट–1 के अभ्यर्थी का नाम प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा। एक ग्राम पंचायत में जो अभ्यर्थी पहले परीक्षा पास कर सर्टीफिकेट प्राप्त करेगा उसे बी0सी0–सखी का नियुक्ति पत्र सम्बन्धित जनपद के डी.सी., एन.आर.एल.एम. द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(6) पुलिस वेरीफिकेशन

प्रशिक्षण एवं सर्टिफिकेशन के उपरान्त बी.सी.–सखी का पुलिस वेरीफिकेशन भी कराया जाना है।

(7) बी.सी.–सखी के एन्कारिंग के लिए पार्टनर बैंकों का चयन

पूरे प्रदेश के लिए 06 बैंकिंग पार्टनर सेलेक्ट करने का निर्णय लिया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस पार्टनरशिप के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक, पेमेन्ट बैंक– (एयरटेल, पेटीएम, फिनो आदि), प्राईवेट शिड्यूल कामर्शियल बैंक, फिनटेक कम्पनियां एवं कारपोरेट बी.सी. अर्ह हैं। सर्वश्रेष्ठ कम्पनी को एच–1 के रूप में चयनित किया जाएगा एवं उसे 15000 ग्राम पंचायतों में कार्य सौंपा जायेगा। इसी प्रकार एच–2 एवं एच–3 को 10,000 ग्राम पंचायतों में कार्य सौंपा

जायेगा एवं एच–4–5 को 8,000 ग्राम पंचायतों में एवं एच–6 को 7000 ग्राम पंचायतों में कार्य सौंपा जायेगा।

(8) बी.सी.–सखी के लिए इक्युपमेंट की व्यवस्था

बी.सी.–सखी को इक्युपमेंट के लिए 50,000 रूपये इन्टरेस्ट फ्री लोन के रूप में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित पार्टनर बैंक से वार्ता के उपरान्त उनके क्षेत्र के लिए आवश्यक इक्युपमेंट अन्तिम किए जायेंगे। इक्युपमेंट स्पेशिफिकेशन के अनुसार बी.सी.–सखी द्वारा स्वयं क्रय किया जायेगा। बी.सी.–सखी को कार्य करने के लिए निम्नलिखित इक्युपमेंट सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं :–

1. डेस्कटॉप कम्प्यूटर/लैपटॉप
2. पॉस मशीन
3. कार्ड रीडर
4. फिंगर प्रिंट रीडर
5. इन्टीग्रेटेड इक्युपमेंट

चूंकि प्रत्येक बैंक/फिनटेक के अपने–अपने साफ्टवेयर्स हैं और अपने–अपने फाईनेन्शियल प्रोडक्ट हैं, जिसके अनुसार सेट–आफ इक्युपमेंट भी हैं। अतः इक्युपमेंट को चयनित बैंक व फिनटेक के साथ वार्ता करने के उपरान्त ही अन्तिम किया जा सकेगा।

(9) मानदेय

प्रत्येक चयनित बी.सी.–सखी को 06 माह तक प्रति माह 4000 रूपये की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी, जो एस.आर.एल.एम. से सीधे उनके खाते में भेजी जायेगी। बी.सी.–सखी को उक्त 6 माह में अपने कार्य को व्यवस्थित करते हुए अपना ट्रांजेक्शन बढ़ाते हुए कमीशन की आय बढ़ाने का प्रयास करना होगा। विभाग की यह रणनीति है कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत मिलने वाली मजदूरी, स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय निर्माण के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उपलब्ध करायी गयी धनराशि इन सबका आहरण बी.सी.–सखी के माध्यम से गॉव में ही हो ताकि एक बहुत बड़ी धनराशि बी.सी.–सखी के माध्यम से ट्रांजेक्ट हो। विभाग का यह प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा धनराशि बी.सी.–सखी के माध्यम से पंचायतों में आहरित हो। जहां एक ओर यह ग्रामवासियों को ग्राम पंचायत में ही बैंक की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद करेगा वहीं बी0सी0–सखी की वित्तीय वायविलिटी (Viability) बढ़ाऐगा।

(10) बी.सी.–सखी–समूह सखी

ग्राम पंचायतों में गठित स्वयं सहायता समूहों की बैठक का मिनट तैयार करने एवं वित्तीय ट्रांजेक्शन को फीड करने के लिए एक समूह सखी की भी व्यवस्था है। चूंकि बी.सी.–सखी के चयन में समूह सखी को वरीयता दी गयी है। अतः ज्यादातर समूह सखी बी.सी.–सखी के रूप में चयनित होंगी। बी.सी.–सखी अपनी ग्राम पंचायत में गठित स्वयं सहायता समूहों के लिए समूह सखी के रूप में भी कार्य करेगी और उसके लिए अनुमन्य 1200 रूपये प्रतिमाह का मानदेय भी इन्हें भुगतान किया जायेगा। विभाग की यह रणनीति भी है कि बी.सी.–सखी समूह सखी के रूप में कार्य करते हुए स्वयं सहायता समूहों द्वारा किए जा रहे हर

ट्रांजेक्शन को डिजिटल तरीके से दर्ज करें, जिससे एक ओर डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिलेगा और दूसरी ओर राज्य स्तर पर इसकी अद्यतन आख्या भी उपलब्ध रहेगी।

(11) राज्य स्तर पर समन्वय

चूंकि प्रत्येक बैंक/फिनटेक आदि के पास बी.सी.–सखी के कार्यों व ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने व मॉनीटर करने के लिए अपने–अपने साफटवेयर हैं। अतः राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग चयनित किए जाने वाले 06 बैंक/फिनटेक आदि की प्रगति को इन्टीग्रेट करने की व्यवस्था भी बनाई जायेगी।

(12) वित्तीय सहायता

एक बी.सी.–सखी के ऊपर लगभग 102200 रूपये का व्यय होगा, जिसमें प्रशिक्षण पर रू0–2400, पुस्तक व सर्टिफिकेशन पर रू0–800, इक्युपमेंट पर रू0–50,000, ओवर ड्राफ्ट फेसिलिटी पर रू0–25,000 एवं 6 माह के मानदेय पर रू0–24,000 पर व्यय किया जाना है। इक्युपमेन्ट व ओवर ड्राफ्ट की धनराशि इन्ट्रेस्ट फ्री लोन के रूप में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य निदेशक, आरसेटी, मुख्य विकास अधिकारी व उपायुक्त(स्वतः रोजगार) आदि से समन्वय करते हुए शार्टलिस्टेड बी0सी0–सखी का प्रशिक्षण कार्यक्रम अतिशीघ्र प्रारम्भ कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–555(1)/अडीस–6–2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण
(3) आजीविका मिशन, लखनऊ।
(4) मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, लखनऊ।
(5) श्री गणेश दीक्षित, राज्य निदेशक, आरसेटी।
(6) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त उपायुक्त (स्वतः रोजगार), उत्तर प्रदेश।
(8) गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(विजय बहादुर वर्मा)
संयुक्त सचिव।